# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

| अपील संख्या | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 12/116/2021 | 08–10–2021 | 31–05–2023 |

01–राजाराम पुत्र दाताराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर जिला अलवर।
02–दीपचंद पुत्र दाताराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर जिला अलवर।
03–कैलाश पुत्र भौरेलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर जिला अलवर।
04–बसन्ता पुत्र भौरेलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर जिला अलवर।

– अपीलाण्ट

बनाम

01– तहसीलदार बानसूर जिला अलवर।

–रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व नोटिस तहसीलदार बानसूर दिनांक 17.07.2017 जिसके द्वारा आराजी खसरा न0 646 रकबा 3.53 है0 वाके ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर से अतिक्रमण हटवाने हेतु जारी किया गया है।

उपस्थितः–
01–श्री कमल सिंह रावत –वकील अपीलाण्ट
02–राजकीय अभिभाषक –वकील रेस्पोडेन्ट

## –:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के निर्णय/नोटिस दिनांक 17.07.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर जिला अलवर की आराजी खसरा नम्बर 646 रकबा 3.53 है0 में बने हुए मकानो आदि को हटाने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि तहत अदालत द्वारा अपीलांट के विरूद्व नोटिस दिनाक 17.07.2017 जारी कर आराजी खसरा न0 646 में बने अपीलान्ट के मकान आदि व कब्जा हटाने हेतु जारी किया गया है, जिसे अपीलान्ट ने माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर की डबल बैंच में याचिका के जर्ये चैलेंज किया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने निर्णय दिनाक 21.08.2017 के जर्ये इस निर्देश के साथ निर्णित की है, कि यदि पिटीशनर आदेश से एग्रीव्ड है, तो उक्त आदेश को विधिक प्रक्रिया के तहत सक्षम न्यायालय में चैलेंज कर सकते है, चूकि आदेश में अपीलान्टान के खिलाफ कार्यवाही हेतु तहसीलदार बानसूर को

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

भी लिखा गया है, और तहसीलदार बानसूर ने आदेश की अनुपालना में ही अपीलाण्टान को यह आदेश/नोटिस दिनाक 17.07.2017 को जारी किया गया है, के विरूद्व यह अपील पेश की गयी है। अपीलाण्टान संख्या 1 व 2 ने आराजी खसरा न0 646 के करीब 4 बीघा आराजी पर पिता व दादा के समय से यानि गत 50 वर्षो से अपने रिहायश हेतू पक्के मकानात, घर, छप्पर आदि बना रखे है, तथा उनमें रिहायश करते आ रहे है, और अपने पशु मवेशी वगै0 बांधते आ रहे है। साथ ही चारा ईधन कूडी आदि डाल कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अपीलाण्टान ने आराजी में 3 कमरे, 1 रसोई, 1 बरामदा, 1 बोरिंग, 1 पानी की टंकी बना रखी है। तथा अपने परिवार सहित रिहायश करते चले आ रहे है, शेष आराजी में काश्त कर रहे है। इसके अलावा अपीलाण्टान संख्या 1 व 2 के पास रहने को अन्य जगह भी नही है, और अपीलाण्टान संख्या 3 व 4 अपने कब्जे की आराजी में काश्त करते चले आ रहे है, एंव अपने पशु मवेशी आदि बांधते है, एंवम लकडी ईधन वगै0 रखकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। चूँकि विवादित आराजी खसरा न0 646 का कुल रकबा 3.53 है0 काफी बडा रकबा है, अतिक्रमण किस तरफ कितने रकबे पर अतिक्रमी का कब्जा है, या नही। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की अनेको नजीरो में यह सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है, कि जहां पटवारी हल्का ने बडे रकबे मे से किसी अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है, तो उसकी पैमाईश करके पहचान किये जाने का प्रावधान है। किन्तु पैमाईश की कार्यवाही नही की गयी है। तहत अदालत ने उक्त तथ्यो पर गौर नही किया गया है, और अपीलाण्टान को बेजा व विधि–विरूद्व तरीके से अतिक्रमी मानते हुऐ भूल की गयी है, जो काबिले निरस्त है। तहत अदालत द्वारा जारी नोटिस दिनाक 17.07.2017 के विरूद्व यह अपील बिना देरी किये पेश की है, अपील पेश करने में जो देरी हुई है, वह अपीलाण्टान द्वारा अपने अधिकारो की सुरक्षार्थ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका पेश करने के कारण हुआ है। आलोच्य आदेश दिनाक 17.07.2017 से आज तक का समय मियाद में मुजरा दिया जाकर कण्डोन फरमाये जाने योग्य है, जिस हेतु दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पेश पेश कर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत का आदेश/नोटिस दिनाक 17.07.2017 निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुये निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा अपीलार्थी द्वारा संवत 2073 में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर प्रकरण में तहत अदालत द्वारा नियमानुसार विधिवत कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है। अपील अपीलाण्टान खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.07.2017 के विरूद्व न्यायालय हाजा को दिनाक 07.09.2017 को अपील पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 17.07.2017 की जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 17.07.2017 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथनं है, कि तहत अदालत द्वारा अपीलांट के विरूद्व नोटिस दिनाक 17.07.2017 जारी कर आराजी खसरा न0 646 में बने अपीलान्ट के मकान आदि व कब्जा हटाने हेतु जारी किया गया है, जिसे अपीलान्ट ने माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर की डबल बैंच में याचिका के जर्ये चैलेंज किया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने निर्णय दिनाक 21.08.2017 के जर्ये इस निर्देश के साथ निर्णित की है, कि यदि पिटीशनर आदेश से एग्रीव्ड है, तो उक्त आदेश को विधिक प्रकिया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अजमेर (राज०)

के तहत सक्षम न्यायालय में चैलेंज कर सकते है, चूकि आदेश में अपीलाण्टान के खिलाफ कार्यवाही हेतु तहसीलदार बानसूर को लिखा गया है, और तहसीलदार बानसूर ने आदेश की अनुपालना में ही अपीलाण्टान को यह आदेश/नोटिस दिनाक 17.07.2017 जारी किया गया है। के विरूद्व यह अपील पेश की गयी है। तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया पटवारी हल्का हरसौरा द्वारा दिनाक 15.02.2017 को अतिक्रमी राजाराम, दीपचन्द पुत्रान दाताराम जाति गूर्जर निवासीयान ग्राम हरनाथ की ढाणी तन धीरपुर तहसील बानसूर जिला अलवर के विरूद्व धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत रिपोर्ट इस आश्य की पेश की गयी है, कि ग्राम धीरपुर की आराजी खसरा नम्बर 646 रकबा 3.53 है0 किस्म खाल–खद्वर में से 0.75 है0 मे मैथी, सरसो, गैहू की फसल काश्त/मकान बोरिंग आदि बना कर अतिक्रमण किया गया है। जिस पर दिनाक 20.02.2017 को प्रकरण संख्या 76/2017, 91 एल. आर.एक्ट के तहत दर्ज कर अतिक्रमीयो को जर्ये नोटिस तलब कर सुनवाई की आगामी तारीख पेशी दिनाक 23.03.2017 नियत की गयी। जारी किये गये नोटिस में जारी करने की दिनाक स्पष्ट नही है, कांट–छाट की हुई है। साथ ही जारी नोटिस अतिक्रमीयो को संयुक्त रूप से जारी किये गये है, तथा तामील रिपोर्ट भी पुख्ता नही है। जारी नोटिस कब अतिक्रमी को दिया गया है, तामील रिपोर्ट मे उल्लेख अंकित नही है। प्रावधानुसार अतिक्रमी वाईज पृथक–पृथक नोटिस जारी किये जाने चाहिए। नियत तारीख पेशी पर बाद तामील उपस्थित नही होने पर पुनः नोटिस दिया जा सकता था। वक्त बहस वकील अपीलाण्टान ने निवेदन है, कि राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र दिनाक 03.10.2017 के परिपेक्ष्य में विवादित स्थल के रिहाईश मकान आदि बाबत पटटा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन किया हुआ है, जो लम्बित है। जिसकी छाया प्रति पेश की गयी है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इस निर्देश से साथ तहसीलदार बानसूर को प्रतिप्रेषित की जाती है, कि प्रस्तावित आराजी में निर्मित आवासीय मकानात के बाबत पुनः जॉच करे एवं अतिक्रमी को पुनः विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया जाकर अधिकतम एक माह में विधिवत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति/तहत अदालत की मूल पत्रावली सहीत अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल रिकार्ड की जावें।

**निर्णय आज दिनांक 31.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(उत्तम सिंह सेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)